

9-2-17

पत्रावली पेश हुई/वकील बन्दी/प्रतिवादी/  
~~अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष~~  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य  
कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक १३-२-१७  
को पेश हो।

  
रीडर

१३-२-१७

वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। प्रतिवादीगण की  
ओरसे जबान दावा पेश हुआ। वास्ते कायमी  
तनवी पत्रावली दि० १०-३-१७ को पेश हो।

३३

१०-३-१७

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित  
वास्ते कायमी तनवी पत्रावली दि० १५-३-१७  
को पेश हो ३

१५-३-१७ पत्रावली पेश हुई/वकील बन्दी/प्रतिवादी/  
~~अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष~~  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य  
कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक १५-३-१७  
को पेश हो।

  
रीडर

१५-३-१७

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित  
वास्ते कायमी तनवी पत्रावली दि० ११-५-१७  
को पेश हो ३

११-५-१७

पत्रावली पेश हुई/वकील बन्दी/प्रतिवादी/  
~~अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष~~  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य  
कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ११-५-१७  
को पेश हो।

  
रीडर

साकिर अहमद  
  
निपसाधा

११-५-१७ पत्रावली आज राजस्व लोक  
अदालत कैम्प उद्देशकता पर पेश हुई।  
वादी साकिर अहमद व प्रतिवादी  
शिवलाल, राधा उपस्थित हैं।

1433-35

  
निपसाधा

पत्रावली  
कि प्र  
पानी  
पानी  
इसी  
का  
अनु  
को  
वे  
मही  
किया  
रोके  
राजी  
निमित्त

साकिर कनाम शिवलाल वर्गैरा

नम्बर व  
अहकाम ख  
हुकम की म  
में जारी

दावा  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादीगण ख० नं० २२८३ की दक्षिणी डील पर पानी के बहाव को नहीं रोकेगा, साथ ही वादी भी पानी के बहाव को नहीं रोकेगा। पक्षकारों ने दावा इसी अनुसार निर्णित करने का निवेदन किया है। पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार दावा निर्णित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ख० नं० २२८३ की दक्षिणी डील पर पानी का बहाव नहीं रोके तथा वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भी पानी के बहाव को नहीं रोकेगा। इसी अनुसार पत्र डिक्री जारी किया जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। फावली निर्णित शुमार है कृपया रिक्त दफ्तर हो।

(रवि कुमार शर्मा)  
सदस्य

लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

(शिवलाल वर्गैरा)  
अध्यक्ष

लोक अदालत  
गंगापुर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

33-35

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी

**मूल वाद मे डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उदेईकलॉ

पक्षीन अधिकारी:- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

साबिर अहमद पुत्र मकबूल अहमद, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापूर ---वादी

बनाम

शिवलाल पुत्र घसीडया बैरवा निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापूर सिटी

सह्या पत्नी शिवलाल बैरवा निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापूर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

सदना नं - 105/2016

वादी की ओर से वादी साबिर अहमद की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी शिवलाल व  
सह्या की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 29.5.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन  
अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री  
जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रतिवादीगण को स्थाई  
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ख0न0 2283 की दक्षिणी डौल पर पानी के बहाब को  
रोकेगे तथा वादी को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भी पानी के बहाब  
नहीं रोकेगा। पक्षकारो राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 29.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



बाबूलाल जाट  
उपखंड अधिकारी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वादपत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प .....रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

शा. सं. २६  
३  
२९-५१७  
उप. न्यायाधीश कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठारिीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ..... उदेईकला

नम्बर मुकदमा..... 105/2016

उनवान मुकदमा..... साकिर अहमद

बनाम

शिवलाल खौरा

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा  
करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/  
अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक  
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता  
है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान..... उदेईकला

दिनांक..... 29-5-2017

साकिर अहमद

नि. शिवलाल

नि. राधा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान :- उदैकला

**राजीनामा प्रपत्र**

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 29-5-2017

गंगापूर सिटी

साकिर अहमद

बनाम

शिवलाल वर्गेश

प्रकरण संख्या :- 105/2016

अन्तर्गत धारा

188 R.T.A.

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री साकिर अहमद पुत्र मकबूल अहमद  
तक है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो  
सक अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।  
इसका आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

प्रतिवादी/वादी मकबूल अहमद की दक्षिणी जमीन पर पानी का खदान को नहीं रोकेगा  
साथ ही वादी भी पानी के खदान को नहीं रोकेगा। इसी अनुसार इस  
सारे का निस्सु निस्तारण कर दिया जावे।

श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

1. साकिर अहमद  
2.  
3.  
4.

- प्रतिवादी पक्ष 1.  
2. शिवलाल  
3.  
4. निरुधा

कर्ता के हस्ताक्षर  
नाम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी साकिर अहमद पुत्र मकबूल अहमद एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी शिवलाल, राधा  
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना  
निश्चित किया गया। अतः राजीनामा इस्वरुखाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)  
(राजेश कुमार शर्मा)  
जुडिकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

(मकबूल जाल)  
पीठासीन अधिकारी  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी